

पत्र संख्या-विधि-2-(1)-विशेष आर्थिक जोन-179-(2008-2009)/725/1011027 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(विधि अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ:: जुलाई ०६ , २०१०

समस्त जोनल फ़डीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

शासन की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2027/ग्यारह-9-(15)08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-
2008 दिनांक 30-6-2008 द्वारा दिनांक 1-1-2008 से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डी0टी0ए0) अथवा विशेष
आर्थिक परिक्षेत्र (एस0ई0जेड0) के व्यापारी द्वारा विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत "आपरेशन्स" हेतु विशेष
आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सहविकासकर्ता तथा वहाँ स्थापित इकाईयों को बेचे गये माल के लिए
कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पर मूल्य सम्बर्धित कर से छूट
प्रदान की गयी है। तदुपरान्त मुख्यालय के पत्र संख्या-वैट -(08-09)-विज्ञप्ति- 357 दिनांक 3-7-2008 द्वारा
इस विज्ञप्ति के प्राविधिकों का क्रियान्वयन करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप "फार्म-डी" निर्धारित किया
गया था। पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि-2-(1)-विशेष आर्थिक जोन (08-09) 723/ 0910043 दिनांक
26-8-2009 द्वारा यह निर्देश भी प्रसारित किये गये थे कि वर्क कान्ट्रैक्ट के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाले
माल के स्वामित्व का अन्तरण भी "डीस्ट सेल" की परिभाषा में आने के कारण ऐसी बिक्री भी उक्त
विज्ञप्ति से आच्छादित होगी। तदनुसार यदि वर्क कान्ट्रैक्ट का निष्पादन करने वाले किसी व्यापारी द्वारा
उपरोक्त विज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप माल का अन्तरण किया जाता है तथा क्रेता व्यापारी से उक्त फार्म-डी
प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ऐसी बिक्री पर कर से छूट उपलब्ध होगी।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 द्वारा उक्त संदर्भ में अपने अर्द्धशासकीय पत्र
संख्या-4084 / 77 -3-09-7 (एस0ई0जेड0) / 09 दिनांक 16-12-2009 द्वारा सूचित किया गया है कि मुख्यालय
के उक्त परिपत्र दिनांक 26-8-2009 में वर्क कान्ट्रैक्ट पर कर से छूट की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण
विकास आयुक्त, नोएडा, एस0ई0जेड0, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर
स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है:-

- (1) Developer/Unit should be exempted from deduction of VAT at source of the works contract, which would be executed in the SEZ.
- (2) The contractors who are executing works in SEZ. should be exempted from paying WCT to the Trade Tax deptt. of particular contract.

3- अतः उपर्युक्त संदर्भ में स्थिति पुनः निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :

(1) मूल्य सम्बर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-34(1) के अधीन शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति
संख्या-क0 नि0 - 2 - 763 / ग्यारह - 9 - (12) / 08 - 30 प्र0 अधि0 - 5-2008 - आदेश-(7)-2008 दिनांक
4-3-2008 में विज्ञप्ति में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के संविदियों द्वारा किसी वर्क कान्ट्रैक्ट के विरुद्ध
संविदाकार को भुगतान करते समय सकल धनराशि के 4 प्रतिशत के बराबर स्रोत पर कर की कटौती किये
जाने का प्राविधान है। साथ ही अधिनियम की धारा-34 (4) में प्राविधान है कि कान्ट्रैक्टर उपर्युक्त मामलोंमें
स्रोत पर कर की कोई कटौती न करने अथवा न्यूनतर दर से कटौती करने के लिए अपने कर निर्धारण

अधिकारी को आवेदन कर सकता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे मामले में अधिनियम की धारा-34 (5) के प्राविधानों अन्तर्गत इस वर्क कान्ट्रैकट पर कर के भुगतान के दायित्व का परीक्षण करते हुये स्रोत पर कोई कटौती न किये जाने का आदेश दिया जा सकता है।

यदि किसी कान्ट्रैकटर द्वारा किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में कोई वर्क कान्ट्रैकट किया जा रहा है तो ऐसे वर्क कान्ट्रैकट में निहित माल का अन्तरण पूर्वोक्त विज्ञप्ति दिनांक 30-6-2008 के अन्तर्गत नियत शर्तों के अधीन करमुक्त होगा एवं ऐसे वर्क कान्ट्रैकट पर कोई कर देय नहीं होगा। तबनुसार यदि किसी कान्ट्रैकटर द्वारा ऐसे किसी वर्क कान्ट्रैकट के लिए धारा- 34 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे वर्क कान्ट्रैकट के विरुद्ध स्रोत पर कर की कोई कटौती न करने का आदेश जारी किया जा सकता है।

(2) जैसा कि पूर्व में जारी परिपत्र संख्या-723 दिनांक 26-8-2009 द्वारा भी स्पष्ट किया जाए चुका है, यदि किसी कान्ट्रैकटर द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सहविकासकर्ता अथवा इनमेंस्थापित इकाईयों के लिए विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में कोई वर्क कान्ट्रैकट किया जाता है एवं ऐसा वर्क कान्ट्रैकट विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत "आपरेशन्स" के अन्तर्गत आता है तो कान्ट्रैकटर द्वारा संविदी से फार्म-डी प्राप्त करके प्रस्तुत करने पर उसे इस वर्क कान्ट्रैकट के सम्बन्ध में कोई कर नहीं देना होगा।

4- परन्तु मुख्यालय के परिपत्र संख्या-वैट-(2008-2009) -विज्ञप्ति-357 दिनांक 3-7-2008 द्वारा निर्धारित फार्म-डी वर्क कान्ट्रैकट के परिपेक्ष्य में व्यवहारिक नहीं है। अतः उक्त प्रारूप डी में यथा आवश्यक संशोधन करते हुये वर्क कान्ट्रैकट के प्रकरणों हेतु एतद्वारा "फार्म-डी-1" निर्धारित किया जाता है, जिसका प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। साथ ही संविदी द्वारा प्रयोग में लाये गये फार्म-डी-1 का हिसाब रखने के लिए भी निर्धारित प्रारूप -डी-2 भी संलग्न किया जा रहा है। फार्म डी-1 के रखरखाव, उनके जारी करने की प्रक्रिया तथा प्रयोग में लाये गये फार्म डी-1 का हिसाब रखने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

- (1) फार्म-डी-1 व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईंडेड बुक में रखा जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 00001 से प्रारंभ होकर क्रमागत रहेगा।
- (2) यह प्रमाण पत्र संविदी द्वारा तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा। मूल / द्वितीय प्रति संविदाकार को जारी किया जाएगा। प्रतिपर्ण संविदी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
- (3) मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय भुगतान की सूची/विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। द्वितीय प्रति संविदाकार द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
- (4) फार्म संविदी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा और एक बुकलेट पचास फार्म की होगी।
- (5) फार्म डी-1 जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से फार्म की मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
- (6) कर निर्धारक प्राधिकारी फार्म डी-1 पर ₹0₹0 सीरीज का टिकट लगाकर प्रतिहस्ताक्षर करेगे।
- (7) एक फार्म डी-1 में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्द्राज किया जा सकता है।

(8) फार्म डी-1 पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख ३०प्र०मूल्य संवर्धित कर नियमावली, २००८ के नियम-३२(६) में है अथवा टैक्स इनवाइस को अभिप्रामाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

(9) संविदी द्वारा प्रयोग किये गये फार्म डी-1 का विवरण एक निर्धारित प्रारूप डी-२ (संलग्न) में दो प्रतियों में रखा जाएगा जिसकी एक प्रति कर निर्धारक अधिकारी को फार्म डी-1 की अगली बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी । तत्पश्चात् फार्म डी-1 पर कर निर्धारक प्राधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे एवं नाम व पदनाम की मोहर लगायेंगे । संविदी द्वारा फार्म डी-२ में रखे गये उक्त विवरण की संविदी की प्रति पर भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुये हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें । परिपत्र की प्रतियां पर्याप्त मात्रा में कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / व्यापारिक संघों को उपलब्ध कराने तथा व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक:- यथोपरि ।

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।


प्र०प०सं०एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निकन्थन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निकन्थन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निवन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, ३०प्र०
- (5) समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-१, वाणिज्य कर, ३०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (6) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-२(विभ०अनु०शा०), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०विभ०अनु०शा०/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोपती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, १७१ ए अंशोक नगर, इलाहाबाद।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सरकारी, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, फिकप, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट अफिस आफ द एजी०आडिट ॥, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (15) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्यगाजियाबाद।
- (16) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर (३०न्या०कार्य) लखनऊ/इलाहाबाद।
- (17) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः ५-५ तथा १० प्रतियों में।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को ५० प्रतियों।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फैयर एसो०१८५/२९३ अमीनबाद रोड, गोपन गज, लखनऊ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बम्पु, सी १५ माल एवेन्यू, लखनऊ।

- (22) श्री इयाम बिहारी मिश्र, तार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, ४७/३४९ आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, तार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, ६६, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, २९बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (25) भर्चन्ट चेम्बर आफ कामर्स, १४/२६ सिविल लाइन्स कानपुर।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० ४/१८० विशाल खण्ड पी०वी०-१७ गोमती नगर लखनऊ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० १ ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (29) आल इन्डिया मैन्युफैकर्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-५ साइट संख्या ३ मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर, लखनऊ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्बागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यों)के माध्यम से।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय १०इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (33) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, मह सचिव, तार प्रदेश टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एसकालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
- (34) श्री मदन मोहन भरतीय एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ३०प्र० शासन २६/१०३ बिरहाना रोड कानपुर।
- (35) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (36) प्रो० श्रीमती रंजना कवकड़, १५ टैगेर टाउन इलाहाबाद।
- (37) डा० छेदी लाल साथी, ए०५/१५७९ इन्द्र नगर, लखनऊ।
- (38) श्री बी० एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०ए०टैक्स बार एसो० ४५ चन्द्रका कालोनी, सिंगरा वाराणसी।
- (39) श्री अशोक ध्वन सी के -२४/ १ कुँजगली, चौक, वाराणसी।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष परिचमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, ७०७, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु०नगर।
- (41) श्री पी०एस०जैन, १३८ ए ब्लाक ए ब्लैक्टर २७ नोयडा।
- (42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (परिचमी क्षेत्र प्रभारी) ३०प्र०टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (43) आरा०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भाज०पा०निवासी ६०चाहचन्द इलाहाबाद।
- (45) श्री शैलेश मिश्र, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, तार प्रदेश, १९ सुरेशबाग, कानपुर।
- (46) इन्डियन इण्ड०एसो०, १५९/ए-४, १५ प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर।
- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो०, वेर्टन यू०पी०(रजि०)५२, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ।
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रीयल डिवीजन को०४० स्टेट लि० ५१-बी० उद्योग नगर कानपुर।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लौर मिलर्स एसो० ३-ए०टैक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (51) श्री दिनेश अरोडा ड०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० ५१५८-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष ३०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० ५६५/५६६ राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (53) श्री हुलास राय सिंधल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-३, पार्क रोड, लखनऊ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सैंगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी०-२९, विधायक निवास, दारुल सफा, लखनऊ।
- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, २७ ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र मिल, उपाध्यक्ष ३०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६६-ए०टैक्स बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस २ गोमती नगर लखनऊ।
- (59) वैट लॉ जनरल १० नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैन्स कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस।

- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा सभिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
- (62) श्री अरविंद कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उप्रेश्वर)
- (63) श्री रमेश केरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 3040 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोय मण्डी
इलाहाबाद
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली नं-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदारूं
यूपी।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आरएडीएसी-51, राजनगर, गाजियाबाद।
- (67) श्री बीपीनशुक्ला, अध्यक्ष, यूपी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, १ यूनिवर्सिटी रोड,
लखनऊ।


(एम०पी०अग्रवाल)
एडीशनल कॉमिशनर ग्रेड-2 (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

करनिर्धारण अधिकारी
द्वारा प्रमाणीकरण
हस्ताद्यत, नाम व
पुहर संहित

फार्म - डी-१

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[विशेषज्ञ संगठनों की अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली विवरणों के अधीन] [विशेषज्ञ संगठनों की अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली विवरणों के अधीन]

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेशन्स हेतु संविदी द्वारा संविदाकार को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

बुक संख्या-----

क्रम संख्या-----

संविद् एवं भगतान का विवरण

क्र०सं	संविदा की संख्या व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल संख्या व दिनांक	भुगतान की धनराशि	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी _____ प्रास्थिति _____

-----, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान -

तिथि -

मुहर

हस्ताक्षर

प्रयोग किये गये फार्म डी-1 के विवरण का निर्धारित प्रारूप-डी-2

क्र0 सं0	संविदाकार का नाम व पता	टिन	फार्म डी- 1 का क्रमांक	संविदा की सं0 व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल सं0 व दिनांक	भगतान की घनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम
एवं मुहर तिथि

करनिर्धारण अधिकारी
द्वारा प्रमाणीकरण
इस्तादर, नाम व
मुहर सहित

फार्म - फी-1

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[विज्ञप्ति सं ० कोनि ०-२-२०२७/ग्यारह-९(१५)/०८-उ०प्र०अधि ०-५-२००८-आदेश-(२६)-२००८ दिनांक ३०-६-२००८ के अधीन।]

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयक्त द्वारा अस्विकृत

आपरेशन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

(द्वितीय प्रति - विक्रेता व्यापारी के लिए)

क्रम संख्या

संविदा एवं भूगतान का विवरण

क्र०सं०	संविदा की संख्या व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल संख्या व दिनांक	भुगतान की घनराशि	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

Total in words	
Total in figure	

三

घोषणा

- प्रारंभिकता

-----, एतद्वारा धोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पर्ण व सही हैं।

स्थान -
तिथि -
महर

हस्ताक्षर

प्रयोग किये गये फार्म डी-1 के विवरण का निर्धारित प्रारूप डी-2

क्रम संख्या	संविदाकार का नाम व पता	टिन	फार्म डी-1 का क्रमांक	संविद की संख्या व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल संख्या व दिनांक	भगतान की धनरूपी
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम
एवं मुहर तिथि

करनिर्धारण अधिकारी
द्वारा प्रमाणिकरण
हस्ताक्षर, नाम व
मुहर सहित

फार्म - फी-1

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[विज्ञप्ति सं ० क्रमांक ०८०-२-२०२७/गयारह-९(१५)/०८-३०प्र०अधि०-५-२००८-आदेश-(२६)-२००८ दिनांक ३०-६-२००८ के अधीन] विशेष आर्थिक परिष्केत्र में स्थापित फ्लाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेटन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

(प्रतिपर्ण - क्रेता व्यापारी के लिए)

बक संख्या-

कम संख्या

संविदा एवं भगतान का विवरण

क्रमसंख्या	संविदा की संख्या व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल संख्या व दिनांक	भुगतान की धनराशि	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

Total in words	
Total in figure	

ੴ ਪ੍ਰਾਣ

मैं पत्र / पत्री / पत्नी पारिथिति

-----, एतद्वारा घोषणा करता है कि उपरोक्त सुचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनसार पर्ण व सही है।

स्थान -

तिथि -

महिर

हस्ताक्षर

三

3